प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904[1]

(1904 का अधिनियम संख्यांक 7)[1]

[18 मार्च, 1904]

प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय, ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व की वस्तुओं के परिरक्षण का उपबंध करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि प्राचीन संस्मारकों के परिरक्षण के लिए, पुरावशेषों के दुर्व्यापार पर तथा कतिपय स्थानों में उत्खनन पर नियंत्रण रखने के लिए, तथा कतिपय दशाओं में प्राचीन संस्मारकों और पुरातत्वीय, ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व की वस्तुओं के संरक्षण और अर्जन के लिए उपबंध किया जाए ;

अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 है ।

[2][(2) इसका विस्तार [3][जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] सम्पूर्ण भारत पर है ।]

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो—

(1) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक या कोई स्तूप या दफनगाह, या कोई गुफा, शैल-रूपकृति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक महत्व का है, अथवा उनके कोई अवशेष, अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(क) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल ;

(ख) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग, जो ऐसे संस्मारक को बाड़े से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो ; तथा

(ग) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन ;

(2) "पुरावशेष" के अन्तर्गत हैं कोई भी ऐसी जंगम वस्तुएं, जिन्हें [4][केन्द्रीय सरकार], उनके ऐतिहासिक या पुरातत्वीय संबंधों के कारण क्षति, हटाए जाने या तितरबितर होने से संरक्षित रखना आवश्यक समझे ;

(3) "आयुक्त" के अन्तर्गत है [5][केन्द्रीय सरकार] द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी ;

(4) "अनुरक्षण" के अन्तर्गत है किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़े से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरुद्धार और उसकी सफाई करना और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी सरंक्षित संस्मारक के अनुरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ;

(5) "भूमि" के अन्तर्गत हैं राजस्व-मुक्त सम्पदा, राजस्व देने वाली सम्पदा और स्थायी अन्तरणीय भूधृति, चाहे ऐसी सम्पदा या भूधृति विल्लंगमग्रस्त हो या नहीं ; तथा

(6) "स्वामी" के अन्तर्गत है संयुक्त स्वामी, जिसमें अपनी ओर से और अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियां निहित हैं, तथा किसी प्राचीन संस्मारक पर प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी, और ऐसे किसी स्वामी का हक-उत्तराधिकारी तथा ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद-उत्तरवर्ती :

---

[1] 1958 के अधिनियम सं० 24 की धारा 39 द्वारा या के अधीन (15-10-1959 से) राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के संबंध में यह अधिनियम प्रभावशील नहीं रहा । 1960 के आन्ध्र प्रदेश अधिनियम सं० 7 द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के संबंध में अधिनियम प्रभावशील नहीं रहा ।
1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा बेल्लारी जिले को लागू होने से निरसित ।
1961 के महाराष्ट्र अधिनियम सं० 12 द्वारा अधिनियम महाराष्ट्र में निरसित ।
1962 के मैसूर अधिनियम सं० 7 द्वारा मैसूर में और 1961 के राजस्थान अधिनियम सं० 19 द्वारा राजस्थान में लागू होने के लिए संशोधित किया गया ।
1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी में प्रवृत्त हुआ ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1951 के अधिनियम 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] विधि अनूकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात उन शक्तियों का विस्तार करने वाली नहीं समझी जाएगी जो ऐसे प्रबंधक या न्यासी द्वारा विधिपूर्वक प्रयोग में लाई जा सकती हैं ।

3. संरक्षित संस्मारक—(1) [1][केन्द्रीय सरकार], राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी प्राचीन संस्मारक को इस अधिनियम के अर्थ में संरक्षित संस्मारक घोषित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, संस्मारक पर या उसके पास किसी सहजदृश्य स्थान पर, ऐसी प्रज्ञापना के साथ लगाई जाएगी कि अधिसूचना के जारी किए जाने के संबंध में किन्हीं आक्षेपों पर, जो [1][केन्द्रीय सरकार] को, उस तारीख से, जब वह इस प्रकार लगाई जाती है, एक मास के अंदर प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ।

(3) एक मास की उक्त कालावधि की समाप्ति पर, [1][केन्द्रीय सरकार], आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् अधिसूचना की पुष्टि करेगी या उसे वापस ले लेगी ।

(4) इस धारा के अधीन प्रकाशित अधिसूचना, जब तक कि वह वापस नहीं ले ली जाती, इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह संस्मारक, जिससे वह संबंधित है, इस अधिनियम के अर्थ में प्राचीन संस्मारक है ।

प्राचीन संस्मारक

4. प्राचीन संस्मारक में अधिकारों या उसकी संरक्षकता का अर्जन—(1) कलक्टर, [1][केन्द्रीय सरकार] की मंजूरी से, किसी संरक्षित संस्मारक का क्रय कर सकेगा या पट्टा ले सकेगा ।

(2) कलक्टर, वैसी ही मंजूरी से, किसी संरक्षित संस्मारक का दान या वसीयत प्रतिगृहीत कर सकेगा ।

(3) संरक्षित संस्मारक का स्वामी, लिखत द्वारा, आयुक्त को उस संस्मारक का संरक्षक नियत कर सकेगा और आयुक्त, [1][केन्द्रीय सरकार] की मंजूरी से, ऐसी संरक्षकता प्रतिगृहीत कर सकेगा ।

(4) जब कि आयुक्त ने उपधारा (3) के अधीन किसी संस्मारक की संरक्षकता प्रतिगृहीत कर ली है, तब स्वामी इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से यथाउपबंधित के सिवाय, संस्मारक में और उस पर वही सम्पदा, अधिकार, हक और हित रखेगा मानो आयुक्त उसका संरक्षक नियत नहीं किया गया है ।

(5) जब कि आयुक्त ने उपधारा (3) के अधीन किसी संस्मारक की संरक्षकता प्रतिगृहीत कर ली है तब इस अधिनियम के वे उपबंध, जो धारा 5 के अधीन निष्पादित करारों से संबंधित हैं, उक्त उपधारा के अधीन निष्पादित लिखत को लागू होंगे ।

(6) जहां कोई संरक्षित संस्मारक बिना स्वामी का है, वहां आयुक्त उस संस्मारक की संरक्षकता संभाल सकेगा ।

5. प्राचीन संस्मारक का करार द्वारा परिरक्षण—(1) कलक्टर, [1][केन्द्रीय सरकार] की पूर्व मंजूरी से, स्वामी से, अपने जिले के किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण के लिए [2][केन्द्रीय सरकार] से करार करने के लिए प्रस्थापना कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन का करार निम्नलिखित विषयों या उनमें से ऐसे विषयों के लिए, जिनका करार में सम्मिलित किया जाना समीचीन समझा जाए, उपबन्ध कर सकेगा :—

(क) संस्मारक का अनुरक्षण ;

(ख) संस्मारक की अभिरक्षा और उस व्यक्ति के कर्तव्य, जो संस्मारक की रखवाली करने के लिए नियोजित किया जाए ;

(ग) संस्मारक को नष्ट करने, हटाने, परिवर्तित करने या विरूपित करने अथवा संस्मारक के स्थल पर या उसके समीप निर्माण करने के स्वामी के अधिकार का निर्बन्धन ;

(घ) पंहुच की सुविधाएं जो जनता को या जनता के किसी प्रभाग को तथा स्वामी या कलक्टर द्वारा, संस्मारक के निरीक्षण या अनुरक्षण के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञात की जानी हैं ;

(ङ) उस दशा में, जिसमें वह भूमि, जिस पर संस्मारक स्थित है, स्वामी द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाती है, वह सूचना जो [3][केन्द्रीय सरकार] को दी जानी है, और ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के किसी विनिर्दिष्ट प्रभाग को उसके बाजार भाव पर क्रय करने का वह अधिकार जिसे [3][केन्द्रीय सरकार] के लिए आरक्षित किया जाना है ;

(च) संस्मारक के परिरक्षण के संबंध में स्वामी द्वारा या [3][केन्द्रीय सरकार] द्वारा उपगत किन्हीं व्ययों का संदाय ;

(छ) जब कि संस्मारक के परिरक्षण के संबंध में [3][केन्द्रीय सरकार] द्वारा कोई व्यय उपगत किए जाते हैं तब वे सांपत्तिक या अन्य अधिकार जो संस्मारक के विषय में सरकार में निहित होना है ;

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् भारत सचिव" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ज) करार से उद्भूत होने वाले किसी विवाद का विनिश्चय करने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति ; तथा

(झ) संस्मारक के परिरक्षण से संबंधित कोई विषय जो स्वामी और [1][केन्द्रीय सरकार] के बीच करार का उचित विषय है ।

[2]* * * * *

(4) इस धारा के अधीन के करार के निबन्धन, [3][केन्द्रीय सरकार] की मंजूरी से और स्वामी की सहमति से समय-समय पर परिवर्तित किए जा सकेंगे ।

(5) [3][केन्द्रीय सरकार] की पूर्व मंजूरी से, कलक्टर इस धारा के अधीन के करार को, स्वामी को छह मास की लिखित सूचना देकर, समाप्त कर सकेगा ।

(6) स्वामी इस धारा के अधीन के करार को, कलक्टर को छह मास की सूचना देकर, समाप्त कर सकेगा ।

(7) इस धारा के अधीन का करार, उस पक्षकार से व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से करार निष्पादित किया गया था, उस संस्मारक का, जिसके संबंध में वह करार है, स्वामी होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आबद्धकर होगा ।

(8) संस्मारक का संरक्षण या परिरक्षण करने में उपगत व्ययों की बाबत [केन्द्रीय सरकार] द्वारा अर्जित किन्हीं अधिकारों पर, इस धारा के अधीन के करार के समाप्त हो जाने से प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

6. निर्योग्यताधीन या कब्जाविहीन स्वामी—(1) यदि स्वामी, बाल्यावस्था या अन्य निर्योग्यता के कारण, स्वत: कार्य करने में असमर्थ है, तो वह व्यक्ति, जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए वैध रूप से सक्षम है, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो धारा 5 द्वारा स्वामी को प्रदत्त हैं ।

(2) ग्राम सम्पत्ति की दशा में, ऐसी सम्पत्ति के प्रबंध की शक्तियों का प्रयोग करने वाला ग्रामणी या अन्य ग्राम अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो धारा 5 द्वारा स्वामी को प्रदत्त हैं ।

(3) इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उसी धर्म का न हो जिसके वे व्यक्ति हैं जिनकी ओर से वह कार्य कर रहा है, किसी संरक्षित संस्मारक के संबंध में, जो या जिसका कोई भाग कालिकत: उस धर्म की धार्मिक पूजा या आचारों के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसी करार को करने या निष्पादित करने के लिए सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

7. करार का प्रवर्तन—(1) यदि कलक्टर यह आशंका करता है कि किसी संस्मारक का स्वामी या अधिभोगी, उसके परिरक्षण के लिए धारा 5 के अधीन के करार के निबंधनों के उल्लंघन में संस्मारक को नष्ट करने, हटाने, परिवर्तित करने, विरूपित करने या खतरे में डालने या उसके स्थल पर या समीप निर्माण करने का आशय रखता है, तो कलक्टर करार के ऐसे किसी उल्लंघन का प्रतिषेध करने वाला आदेश कर सकेगा ।

(2) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो धारा 5 के अधीन संस्मारक के परिरक्षण या अनुरक्षण के लिए करार से आबद्ध है, कोई ऐसा कार्य, जो कलक्टर की राय में ऐसे परिरक्षण या अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, करने से इंकार करता है अथवा ऐसा कोई कार्य उतने युक्तियुक्त समय के भीतर, जो कलक्टर द्वारा नियत किया जाए, करने में उपेक्षा करता है, तो कलक्टर ऐसा कोई कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, और ऐसा कोई कार्य करने का व्यय या व्यय का ऐसा प्रभाग, जिसके संदाय के लिए स्वामी करार के अधीन दायी हो, स्वामी से ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो ।

(3) इस धारा के अधीन किए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति आयुक्त को अपील कर सकेगा जो उसे रद्द या उपान्तरित कर सकेगा और जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

8. कतिपय विक्रयों के क्रेताओं और स्वामी से व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों का स्वामी द्वारा निष्पादित लिखत से आबद्ध होना—हर व्यक्ति, जो भू-राजस्व की बकाया या किसी अन्य लोक मांग के लिए विक्रय पर, या बंगाल पटनी ताल्लुक विनियम, 1819 (1819 का बंगाल विनियम सं० 8) के अधीन किए गए विक्रय पर ऐसी सम्पदा या भूधृति का क्रय करता है जिसमें ऐसा संस्मारक स्थित है जिसके बारे में धारा 4 या धारा 5 के अधीन तत्समय के स्वामी द्वारा कोई लिखत निष्पादित की गई है और हर ऐसा व्यक्ति, जो उस स्वामी से व्युत्पन्न अधिकार से, के द्वारा या के अधीन, जिसने कोई ऐसी लिखत निष्पादित की है, संस्मारक पर किसी हक का दावा करता है, ऐसी लिखत से आबद्ध होगा ।

9. प्राचीन संस्मारक की मरम्मत के लिए विन्यास का उपयोजन—(1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण के लिए धारा 5 के अधीन कोई करार करने को सक्षम है, कलक्टर द्वारा उससे प्रस्थापना की जाने पर, ऐसा करार करने से इंकार करता है, या करने में असफल रहता है, और यदि ऐसे संस्मारक की मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए, या अन्य प्रयोजनों में से उस प्रयोजन के लिए भी, किसी विन्यास की सृष्टि की गई है, तो कलक्टर ऐसे विन्यास या उसके भाग के उचित उपयोजन के लिए,

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा उपधारा (3) का लोप किया गया ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगा, या यदि संस्मारक की मरम्मत कराने का प्राक्कलित व्यय एक हजार रुपए से अधिक नहीं है तो जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की सुनवाई पर, जिला न्यायाधीश, स्वामी और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका साक्ष्य उसे आवश्यक प्रतीत होता है, समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, और विन्यास या उसके किसी भाग के उचित उपयोजन के लिए आदेश पारित कर सकेगा, तथा ऐसा कोई आदेश ऐसे निष्पादित किया जा सकेगा मानो वह सिविल न्यायालय की डिक्री हो ।

10. प्राचीन संस्मारक का अनिवार्य क्रय—(1) यदि [1][केन्द्रीय सरकार] को यह आशंका है कि किसी संरक्षित संस्मारक के नष्ट किए जाने, क्षतिग्रस्त किए जाने या क्षयग्रस्त होने का खतरा है, तो [2][केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को निदेश दे सकेगी कि वह] भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के उपबन्धों के अधीन [3][उसका ऐसे अर्जन कर ले], मानो संरक्षित संस्मारक का परिरक्षण उस अधिनियम के अर्थ में "लोक प्रयोजन" है ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अनिवार्य क्रय की शक्तियां,—

(क) किसी ऐसे संस्मारक की दशा में, जो या जिसका कोई भाग धार्मिक आचारों के लिए कालिकत: उपयोग में लाया जाता है ; अथवा

(ख) किसी ऐसे संस्मारक की दशा में, जो धारा 5 के अधीन निष्पादित अस्तित्वयुक्त करार के अधीन है,

प्रयुक्त नहीं की जाएंगी ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दशाओं से भिन्न किसी दशा में, अनिवार्य क्रय की उक्त शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति, जो धारा 5 के अधीन कोई करार करने को सक्षम है, ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो कलक्टर इस निमित्त करे, उक्त धारा के अधीन उसको प्रस्थापित कोई करार करने में असफल न रहा हो या उसने ऐसा करार समाप्त न कर दिया हो या उसे समाप्त करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो ।

[3][**10क. प्राचीन संस्मारक के निकट खनन आदि का नियंत्रण करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—(1) यदि [केन्द्रीय सरकार] की राय है कि खनन, खदानक्रिया, उत्खनन, विस्फोट और इसी प्रकार की अन्य संक्रियाएं किसी प्राचीन संस्मारक को संरक्षित या परिरक्षित करने के प्रयोजन के लिए निर्बन्धित या विनियमित की जानी चाहिएं तो [1][केन्द्रीय सरकार], राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जो—

(क) उस क्षेत्र की सीमाएं नियत करते हैं, जिसे नियम लागू होने हैं ;

(ख) खनन, खदानक्रिया, उत्खनन, विस्फोट या इसी प्रकार की किसी संक्रिया के किए जाने का तब के सिवाय निषेध करते हैं जब ऐसा करना नियमों के और अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अनुसार हो ; तथा

(ग) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, और वे निबंधन जिन पर, उक्त संक्रियाओं में से कोई संक्रिया की जाने के लिए अनुज्ञप्तियां अनुदत्त की जा सकेंगी, विहित करते हैं ।

(2) इस धारा द्वारा दी गई नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अध्यधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम यह उपबंध कर सकेगा कि उसका भंग करने वाला कोई व्यक्ति जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना में सम्मिलित भूमि का कोई स्वामी या अधिभोगी [1][केन्द्रीय सरकार] को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि ऐसी भूमि के इस प्रकार सम्मिलित किए जाने के कारण उसे हानि हुई है तो [1][केन्द्रीय सरकार] ऐसी हानि के लिए प्रतिकर का संदाय करेगी ।]

11. कतिपय संरक्षित संस्मारकों का अनुरक्षण—(1) आयुक्त हर ऐसे संस्मारक का अनुरक्षण करेगा जिसके बारे में सरकार ने धारा 4 में वर्णित अधिकारों में से कोई अधिकार अर्जित किया है या जिसे सरकार ने धारा 10 के अधीन अर्जित किया है ।

(2) जब कि आयुक्त ने धारा 4 के अधीन किसी संस्मारक की सरंक्षकता प्रतिगृहीत कर ली है, तब उसकी ऐसे संस्मारक के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए, सभी युक्तियुक्त समयों पर, स्वयं और अपने अभिकर्ता, अधीनस्थों और कर्मकारों द्वारा संस्मारक का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए और ऐसी सामग्री लाने और ऐसे कार्य करने के प्रयोजन के लिए, जिन्हें वह उसके अनुरक्षण के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे, संस्मारक तक पहुंच होगी ।

12. स्वैच्छिक अभिदाय—आयुक्त किसी संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के खर्च के निमित्त स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त कर सकेगा और अपने द्वारा ऐसे प्राप्त की गई निधियों के प्रबंध और उपयोजन के संबंध में आदेश दे सकेगा :

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार उसे अर्जित करने के लिए अग्रसर हो सकेगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1932 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित ।

परन्तु इस धारा के अधीन प्राप्त किया गया कोई अभिदाय उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए वह अभिदाय किया गया था, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोजित नहीं किया जाएगा ।

13. दुरुपयोग किए जाने, प्रदूषित किए जाने या अपवित्र किए जाने से पूजा के स्थान का संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई पूजा का स्थान या पवित्र स्थान, अपने स्वरूप से असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।

(2) जहां कलक्टर ने, धारा 4 के अधीन, किसी संरक्षित संस्मारक का क्रय किया है या उसे पट्टे पर लिया है, या दान या वसीयत प्रतिगृहीत की है, या आयुक्त ने उस धारा के अधीन उसकी संरक्षकता प्रतिगृहीत की है, और ऐसा संस्मारक या उसका कोई भाग कालिकत: धार्मिक पूजा या आचारों के लिए किसी समुदाय द्वारा उपयोग में लाया जाता है, वहां कलक्टर ऐसे संस्मारक या उसके उस भाग के प्रदूषित या अपवित्र किए जाने से संरक्षण के लिए—

(क) उन शर्तों के अनुसार प्रवेश के सिवाय, जो उक्त संस्मारक या उसके किसी भाग के धार्मिक भारसाधक व्यक्तियों की सहमति से विहित की गई हों, किसी ऐसे व्यक्ति का, जो उस समुदाय की जिसके द्वारा वह संस्मारक या उसका कोई भाग उपयोग में लाया जाता हो, धार्मिक प्रथाओं द्वारा इस प्रकार प्रवेश करने का हकदार न हो, उसमें प्रवेश प्रतिषिद्ध करके, अथवा

(ख) कोई ऐसी अन्य कार्रवाई करके, जिसे वह इस निमित्त आवश्यक समझे, सम्यक् उपबंध करेगा ।

14. किसी संस्मारक में सरकार के अधिकारों का त्याग—[1][केन्द्रीय सरकार] की मंजूरी से, आयुक्त,—

(क) जहां कि अधिकार [2][केन्द्रीय सरकार] द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी संस्मारक के बारे में किसी विक्रय, पट्टा, दान या विल के आधार पर अर्जित किए गए हैं, वहां इस प्रकार अर्जित अधिकारों को उस व्यक्ति के पक्ष में त्याग सकेगा, जो संस्मारक का तत्समय स्वामी हुआ होता, यदि ऐसे अधिकार अर्जित न किए गए होते, अथवा

(ख) संस्मारक की कोई ऐसी संरक्षकता त्याग सकेगा, जो उसने इस अधिनियम के अधीन प्रतिगृहीत की है ।

15. कतिपय संरक्षित संस्मारकों तक पहुंच का अधिकार—(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो पूर्व प्रकाशन के पश्चात् [1][केन्द्रीय सरकार] द्वारा बनाए जाएं, जनता को इस अधिनियम के अधीन [2][केन्द्रीय सरकार] द्वारा अनुरक्षित किसी संस्मारक तक पहुंच का अधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई नियम बनाने में, [1][केन्द्रीय सरकार] यह उपबंध कर सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो बीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

16. शास्तियां—स्वामी से भिन्न कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित संस्मारक को नष्ट करेगा, हटाएगा, क्षति पहुंचाएगा, परिवर्तित करेगा, विरूपित करेगा या खतरे में डालेगा और कोई स्वामी, जो ऐसे संस्मारक को, जो इस अधिनियम के अधीन [2][केन्द्रीय सरकार] द्वारा अनुरक्षित है, या जिसके बारे में धारा 5 के अधीन करार निष्पादित किया गया है, नष्ट करेगा, हटाएगा, क्षति पंहुचाएगा, परिवर्तित करेगा, विरूपित करेगा या खतरे में डालेगा, और कोई स्वामी या अधिभोगी, जो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, या कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

पुरावशेषों का दुर्व्यापार

17. पुरावशेषों के दुर्व्यापार को नियन्त्रित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार यह आशंका करती है कि पुरावशेषों का विक्रय किया जा रहा है या उन्हें हटाया जा रहा है जो भारत या किसी पड़ोसी देश के लिए अपायकर है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना[3] द्वारा, किन्हीं पुरावशेषों या किसी वर्ग के पुरावशेषों का, जो अधिसूचना में वर्णित हों, समुद्र-मार्ग द्वारा या भूमि-मार्ग द्वारा [4][उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है] या [5][उक्त राज्यक्षेत्रों] के किसी विनिर्दिष्ट भाग में, लाया जाना या उनके या उसके बाहर ले लाया जाना प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति, जो ऐसे किन्हीं पुरावशेषों को, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में [5][उक्त राज्यक्षेत्रों] या [5][उक्त राज्यक्षेत्रों] के किसी भाग में लाएगा या उनके या उसके बाहर ले जाएगा या लाने या ले जाने का प्रयत्न करेगा, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) ऐसे पुरावशेष अधिहरणीय होंगे जिनके संबंध में उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपराध किया गया है ।

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1917, भाग 1, पृष्ठ 989 ।

[4] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यक्षेत्र जो तत्समय भाग क राज्य और भाग ग राज्यों में समाविष्ट हैं" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) सीमाशुल्क अधिकारी, या पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो और [1][केन्द्रीय सरकार] द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त किया गया हो, किसी जलयान, ठेले या प्रवहण के अन्य साधन की तलाशी ले सकेगा और किसी सामान या माल के पैकेज को खोल सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का करण है कि वह माल, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन अपराध किया गया है, उसमें बंद है ।

(5) कोई व्यक्ति, जो वह शिकायत करता है कि उपधारा (4) में वर्णित तलाशी की शक्ति का प्रयोग तंग करने के लिए या अनुचित रूप में किया गया है, अपनी शिकायत [1][केन्द्रीय सरकार] को सम्बोधित कर सकेगा और [1][केन्द्रीय सरकार] ऐसा आदेश पारित करेगी और ऐसी प्रतिकर, यदि कोई हो, अधिनिर्णित कर सकेगी जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हो ।

मूर्तियों, नक्काशियों, प्रतिमाओं, निम्न-उद्भृतियों, उत्कीर्ण लेखों या उन जैसी वस्तुओं का संरक्षण

उन जैसी वस्तुओं का संरक्षण

18. मूर्तियों, नक्काशियों या उन जैसी वस्तुओं के हटाए जाने को नियन्त्रित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) यदि [1][केन्द्रीय सरकार] का यह विचार है कि किन्हीं मूर्तियों, नक्काशियों, प्रतिमाओं, निम्न-उद्भृतियों, उत्तकीर्ण लेखों या उन जैसी अन्य वस्तुओं को उस स्थान से, जहां वे हैं, [2][केन्द्रीय सरकार] की मंजूरी के बिना नहीं हटाया जाना चाहिए तो [1][केन्द्रीय सरकार] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी वस्तुओं या किसी वर्ग की ऐसी वस्तुओं को कलक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना न हटाया जाए ।

(2) उपधारा (1) में वर्णित अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति उस वस्तु या उन वस्तुओं को विनिर्दिष्ट करेगा जिसे या जिन्हें हटाने की वह प्रस्थापना करता है, और वह ऐसी वस्तु या वस्तुओं के बारे में ऐसी जानकारी देगा जिसकी कलक्टर अपेक्षा करे ।

(3) यदि कलक्टर ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार करता है तो आवेदक आयुक्त को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में किसी वस्तु को हटाएगा, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(5) यदि किसी सम्पत्ति का स्वामी [1][केन्द्रीय सरकार] के समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना में ऐसी सम्पत्ति के सम्मिलित किए जाने के कारण उसे कोई हानि या नुकसान हुआ है तो [1][केन्द्रीय सरकार] या तो—

(क) ऐसी सम्पत्ति को उक्त अधिसूचना से मुक्त कर देगी ;

(ख) ऐसी सम्पत्ति को, यदि वह जंगम है, उसके बाजार मूल्य पर क्रय कर लेगी ; अथवा

(ग) यदि सम्पत्ति स्थावर है तो उसके स्वामी को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर देगी ।

19. सरकार द्वारा मूर्तियों, नक्काशियों या उन जैसी वस्तुओं का क्रय—(1) यदि [1][केन्द्रीय सरकार] यह आशंका करती है कि धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में वर्णित किसी वस्तु के नष्ट किए जाने, हटाए जाने, क्षति पंहुचाए जाने या क्षयग्रस्त होने दिए जाने का खतरा है तो [1][केन्द्रीय सरकार] उस वस्तु के, उसके बाजार मूल्य पर अनिवार्य क्रय के लिए आदेश पारित कर सकेगी और तब कलक्टर क्रय की जाने वाली वस्तु के स्वामी को सूचना देगा ।

(2) इस धारा द्वारा दी गई अनिवार्य क्रय की शक्ति का विस्तार—

(क) किसी ऐसी प्रतिमा या प्रतीक पर नहीं होगा, जो किसी धार्मिक आचार के प्रयोजन के लिए वस्तुत: प्रयोग में लाई जाती है ; अथवा

(ख) किसी ऐसी चीज पर नहीं होगा जिसे स्वामी किसी ऐसे युक्तियुक्त आधार पर, जो उसके लिए या उसके पूर्वजों में से किसी के लिए या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के लिए वैयक्तिक है, रोक रखना चाहता है ।

[3][पुरातत्वीय उत्खनन

20. क्षेत्रों को संरक्षित अधिसूचित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार [4]*** की यह राय है कि किसी क्षेत्र में पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए उत्खनन को पुरातत्वीय अनुसंधान के हित में निर्बन्धित और विनियमित किया जाना चाहिए तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जिसमें उस क्षेत्र की सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हों, उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकेगी ।

---

[1] विधि अनुकूलन ओदश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन ओदश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1932 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा शीर्षक और धारा 20, 20क, 20ख और 20ग मूल शीर्षक और धारा 20 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्" शब्दों का लोप किया गया ।

(2) संरक्षित क्षेत्र में गड़े हुए सभी पुरावशेष, ऐसी अधिसूचना की तारीख से सरकार की सम्पत्ति होंगे तथा सरकार के कब्जे में समझे जाएंगे और जब तक कि उनका स्वामित्व अन्तरित नहीं हो जाता, सरकार की सम्पत्ति बने रहेंगे और उसके कब्जे में रहेंगे ; किन्तु अन्य सब बातों में, उस क्षेत्र में भूमि के किसी स्वामी या अधिभोगी के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

20क. सरंक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने और उत्खनन करने की शक्ति—(1) पुरातत्व विभाग को कोई अधिकारी या धारा 20क के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति कलक्टर की लिखित अनुज्ञा से, किसी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा और उत्खनन कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, किसी भूमि का अधिभोग या उसकी सतह को अस्तव्यस्त करने से किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिलंघन होता है, वहां [1][केन्द्रीय सरकार] उस व्यक्ति को अतिलंघन के लिए प्रतिकर का संदाय करेगी ।

20ख. संरक्षित क्षेत्र में पुरातत्वीय उत्खनन विनियमित करने वाले नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम[2] बना सकेगी :—

(क) उन प्राधिकारियों को विहित करना, जो किसी संरक्षित क्षेत्र में पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए उत्खनन करने की अनुज्ञप्तियां अनुदत्त कर सकेंगे ;

(ख) वे शर्तें विनियमित करना, जिन पर ऐसी अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी, ऐसी अनुज्ञप्तियों का प्ररूप और अनुज्ञप्तिधारियों से प्रतिभूति का लिया जाना ;

(ग) वह रीति विहित करना, जिससे किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पाए गए पुरावशेष [1][केन्द्रीय सरकार] और अनुज्ञप्तिधारी के बीच विभाजित किए जाएंगे ; तथा

(घ) साधारणतया धारा 20 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना ।

(2) इस धारा द्वारा दी गई नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे ।

(3) ऐसे नियम तत्समय सभी संरक्षित क्षेत्रों के लिए सामान्य हो सकेंगे या किसी विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए विशेष हो सकेंगे ।

(4) ऐसे नियम यह उपबंध कर सकेंगे कि किसी नियम या अनुज्ञप्ति की किसी शर्त को भंग करने वाला कोई व्यक्ति जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, और इसके अतिरिक्त, यह उपबंध कर सकेंगे कि जहां भंग अनुज्ञप्तिधारी के अभिकर्ता या सेवक द्वारा किया गया है वहां अनुज्ञप्तिधारी स्वयं दण्डनीय होगा ।

20ग. संरक्षित क्षेत्र को अर्जित करने की शक्ति—यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी संरक्षित क्षेत्र में कोई प्राचीन संस्मारक या राष्ट्रीय महत्व और मूल्य के पुरावशेष हैं तो वह राज्य सरकार को निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग को अर्जित करे और तब राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या भाग को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन वैसे ही अर्जित कर सकेगी जैसे कि वह सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हो ।]

21. बाजार भाव या प्रतिकर का निर्धारण—जहां किसी ऐसी सम्पत्ति के बाजार भाव के, जिसे सरकार इस अधिनियम के अधीन ऐसे भाव पर क्रय करने के लिए सशक्त है, या उस [3]*** प्रतिकर के [4][बारे में] जो इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के बारे में सरकार द्वारा संदत्त किया जाना है, कोई विवाद उद्भूत होता है वहां उसे भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 3, 8 से 34, 45 से 47, 51 और 52 द्वारा, जहां तक वे लागू की जा सकती हैं, उपबंधित रीति के अभिनिश्चित किया जाएगा :

परन्तु उक्त भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन जांच करते समय, कलक्टर की सहायता दो असेसर करेंगे, जिनमें से एक कलक्टर द्वारा नामनिर्देशित सक्षम व्यक्ति होगा और एक स्वामी द्वारा नामनिर्देशित, या स्वामी के, ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो कलक्टर द्वारा इस निमित्त नियत किया जाए, असेसर नामनिर्देशित करने में असफल रहने की दशा में, कलक्टर द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति होगा ।

22. अधिकारिता—तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट को, इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

23. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार [5]*** इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी को कार्यान्वित करने के लिए [6][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।]

(2) इस धारा द्वारा दी गई नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे ।

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] ऐसे नियमों के लिए देखिए, भारत का राजपत्र, भाग 1, पृ० 1103 ।

[3] 1932 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा "की राशि" शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1932 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा "राशि से संबंधित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "या स्थानीय सरकार" शब्दों का लोप किया गया ।

[6] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन समक्ष, जब वह ऐसी कुल 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

24. अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले लोक सेवकों को संरक्षण—प्रतिकर के लिए कोई भी वाद तथा कोई भी दाण्डिक कार्यवाही, किसी भी ऐसे कार्य के बारे में जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त की गई किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया हो या सद्भावपूर्वक किए जाने के लिए आशयित हो, किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध न होगी ।

———

[1] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।